गया। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली आ.ता.पेशी दिनांक 28.11.2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी हाजिर। आज दिनांक तक तामिल लौटकर नहीं आई है। तामिल पुनः पेश करें व आगामी तारीख पेश तक रजिस्टर्ड तामिल रसीद पेश करें। पालना के अभाव में वाद-पत्र/प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया जायेगा। पत्रावली वास्ते तामिल दिनांक 6/12/25 को पेश हो।

रिपोर्ट तहसीलदार हेतु तहरीर जारी हो।

पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/12/25 को पेश है।

रिपोर्ट तहसीलदार [illegible]

पत्रावली पेश। अधि. उमयफल हाजिर। अप्रार्थी सं. 2 तक की ओर से अधि. श्री गोपाल गुर्जर हाजिर। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा आवेदन को स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रदान की है। प्रार्थी की ओर से आवेदन/प्रार्थना-पत्र बाबत नाम शुद्धि का इस प्रकार का पेश किया गया कि वाके ग्राम [illegible] तहसील सीकर ग्रामीण व जिला सीकर स्थित में भूमि ख.नं. 1061, 1062, 1020, 1019, 1009, 1021, 1807/1011, अवस्थित है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 तक की माता का नाम बिड़दी की पत्नी [illegible] के नाम राजस्व रिकॉर्ड में कुल 1/32, 1/48, 1/12 हिस्सा की खातेदारी है। प्रार्थी की माता का देहान्त हो चुका है, राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की माता का नाम त्रुटिवश से बिदामी उर्फ पत्नी [illegible]

स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अंकित हो गया है जबकि प्रार्थी की माता का वास्तविक नाम बिड़दी देवी पत्नी भैरूराम है। प्रार्थी की माता के अन्य सभी दस्तावेजों में भी नाम बिड़दी पत्नी भैरूराम ही है अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थी की माता का नाम विदामी देवी पत्नी भैरूराम के स्थान पर बिड़दी पत्नी भैरूराम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थी के आवेदन पर रिपोर्ट तहसीलदार चाही गई। रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार ग्राम [illegible] की वर्तमान जमाबंदी संवत 2075-78 के खाता सं. 242, 158, 132 में प्रार्थी की माता का नाम विदामी देवी पत्नी भैरूराम जाति गुर्जर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक व सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थी की माता का नाम बिड़दी पत्नी भैरूराम दर्ज है। तहसीलदार सीकर ग्रामीण द्वारा उक्त रिपोर्ट प्रार्थी की माता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में विदामी देवी के स्थान पर बिड़दी देवी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने बाबत भिजवाई गई है।

बहस अधिवक्ता अप्रार्थी सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 ता 5 ने आवेदन को स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रदान की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र के तथ्यों व रिपोर्ट तहसीलदार से संतुष्ट होने पर प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम [illegible] तहसील सीकर ग्रामीण की जमाबंदी संवत 2075-78 के खाता संख्या 242, 158, 132 में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 ता 5 की माता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में विदामी देवी पत्नी भैरूराम के स्थान पर बिड़दी देवी पत्नी भैरूराम किये जाने की स्वीकृति धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदान की जाती है। तहसीलदार सीकर ग्रामीण निर्णय हाजा अनुसार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करे। रिपोर्ट तहसीलदार निर्णय हाजा का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सी[illegible]